क्रम-संख्या–52 (घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 2020

फाल्गुन 22, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 419/79-वि-1–20-1(क)-10-2020

लखनऊ, 12 मार्च, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 11 मार्च, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 संक्षिप्त नाम कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 का साधारण संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ" जहाँ कहीं अनुसूची सहित आए हों, के स्थान पर शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारतीय और विदेशी भाषाओं की शिक्षा और शोध और उसके ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के सम्बन्ध में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रदत्त शक्तियां उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वत्र प्रयोक्तव्य होंगी।"

धारा 7—ख का निकाला जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 7—ख निकाल दी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं में अध्यापन और अनुसंधान के लिए उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में एक अरबी, फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश अरबी, फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2009) अधिनियमित किया गया था। कालान्तर में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2010) अधिनियमित किया गया जिसके द्वारा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ कर दिया गया और उसे राज्य विश्वविद्यालयों में समामेलित कर लिया गया।

तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2011) द्वारा उक्त विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ किया गया था।

तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2013) द्वारा उक्त विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ किया गया था।

भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, जापानी के रूप में विदेशी भाषाओं व अन्य विदेशी भाषाओं का अध्यापन तथा ज्ञानार्जन, रोजगार तथा ज्ञान के प्रसार हेतु वर्तमान में वैश्विक रूप में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में कोई भाषा विश्वविद्यालय नहीं है।

अतएव, उक्त विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 419(2)/LXXIX-V-1–20-1(ka)-10-2020

Dated Lucknow, March 12, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 11, 2020. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 8 of 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2020. — Short title

2. In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 hereinafter referred to as the principal Act *for* the words 'Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi, Pharsi University, Lucknow' wherever occuring including the Schedule, the words 'Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow' shall be *substituted.* — General Amendment of Presidents Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

3. In section 5 of the principal Act *for* sub-section (7), the following sub-section shall be *substituted*, namely :– — Amendment of section 5

"(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the power conferred on the Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow in respect of education and research of Indian and foreign languages and advancement and dissemination of knowledge thereof shall be exercisable throughout the State of Uttar Pradesh."

4. Section 7-B of the principal Act shall be *omitted.* — Omission of section 7-B

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Arabi, Pharsi University Act, 2009 (U.P. Act no. 12 of 2009) was enacted to provide for the establishment of an Arabi, Pharsi University at Lucknow in Uttar Pradesh for teaching and research in Urdu, Arabi and Pharsi Languages. Later on, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2010 (U.P. Act no. 11 of 2010) was enacted by which the name of the University was changed as the Uttar Pradesh Urdu, Arabi, Pharsi University, Lucknow and amalgamated in the State Universities.

Thereafter the name of the said University was changed as Manyavar Shri Kanshi Ram Ji Urdu, Arabi, Pharsi University, Lucknow by the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2011 (U.P. Act no. 6 of 2011).

Thereafter the name of the said University was changed as Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi, Pharsi University, Lucknow by the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2012 (U.P. Act no. 5 of 2013).

In addition to the Indian Languages the teaching and learning of foreign languages as English, French, German, Japanese and other foreign languages is necessary for employment and dissemination of knowledge is global need today. There is no language University in Uttar Pradesh.

It has therefore been decided to change the name of the said University as Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, Uttar Pradesh.

The Uttar Pradesh State University (Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 747 राजपत्र–(हि0)–2020–(1778)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 162 सा0 विधायी–2020–(1779)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।